न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 245 / 2021(2021 / 494)

1 गिरवरसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह
2 नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह
3 नोनन्दकंवर पुत्री श्री उम्मेदसिंह
4 भंवरसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह
5. रणजीत सिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह
6. विजयबहादुर सिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह
7. तमाम जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. गजराज पुत्र श्री भंवरसिंह दरोगा।
2. धमेन्द्र पुत्र श्री मोतीसिंह दरोगा।
3. पराक्रम पुत्र श्री भंवरसिंह दरोगा।
4. बसन्तकुमार पुत्र श्री श्रीनारायण दरोगा।
5. भगवती पुत्री श्री मोतीसिंह दरोगा।
6. मानसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह दरोगा।
7. रूपसिंह पुत्र श्री श्रीनारायण दरोगा।
8. विक्रम पुत्र श्री भंवरसिंह दरोगा।
9. धीरज पुत्र श्री मेवालाल बलाई।
10. मनोज पुत्र मेवालाल बलाई।
11. राजेन्द्र पुत्र श्री मेवालाल बलाई।
12. हरि पुत्र श्री मुकना बलाई।
13. हीरा पत्नी सूरजसिंह बलाई।
सभी निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी जिला अजमेर।

——— अप्रार्थीगण

<u>राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री भारती पोपटानी
अप्रार्थी संख्या 7 व 9 से 13 वकील—लेन्सी झंवर

आदेश

दिनांक 20.5.2022

पत्रावली न्यायालय मे पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
1003—995	92	1.07	नहरी 2
171—157	93 94	0.51 0.5[illegible]	नहरी 2 नहरी 2

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है । वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वय की आराजी है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है । प्रार्थीगण की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लड़ाई झगड़े होते है तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का दावा करना लाजमी आया है । प्रार्थी उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। ताकि आये दिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से विवाद नहीं करना पडे एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियो मे उलझना नही पडे, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी दिनांक 02.12.2021 को आराजीयात मे आवश्यक कार्य करने गये तो पडोसियों ने सीमा चिन्ह नहीं होने से धमकी दी कि यहा तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में हंकाई बुवाई भी नही करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा स्थाई पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 8 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कि गई। अप्रार्थी संख्या 7 व 9लगायत 13 की ओर से कोई आपत्ति नही होना उनके अधिवक्ता द्वारा बताया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 1003–995 के खसरा नंबर 92 रकबा 1.07हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 171–157 के खसरा नंबर 93 व 94 रकबा 0.51 व 0.59हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner